<u>पेपरलेस (Paperless) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड के संबंध में दिशा–निर्देश–2015</u>

(विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध हैं)

<u>उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड आदि के लिए दिशा–निर्देश</u> :

1. वर्ष 2015–16 से ***राज्य एवं राज्य के बाहर के*** सभी विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड तथा ***राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों*** आदि के लिए यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किए जाऐंगे जो संबंधित जिले के जिला कार्यालय के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय एवं बोर्ड आदि को उपलब्ध करवाये जाऐंगे।
2. यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड तथा ***राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों*** द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान के उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रतिवर्ष यथाशीघ्र वांछित प्रविष्टियाँ अंकित की जाऐगी।
3. विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड द्वारा उनसे संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनके द्वारा संचालित पाठयक्रमों का यथासमय ऑनलाइन **<u>सत्यापन</u>** किया जाऐगा।
4. विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड के अधीन शैक्षणिक संस्थायें अपने से संबंधित विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड से संपर्क कर ऑनलाईन सत्यापन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
5. विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड द्वारा संबंधित संस्थान का ऑनलाइन सत्यापन का कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व नहीं होने की दशा में **<u>उस संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय एवं बोर्ड जिम्मेदार होंगे।</u>**